सं. 16/3/2006-बीपी एंड एल (खंड IV)
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 19.09.2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने वाले चैनलों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले आईपीटीवी दिशानिर्देशों के खण्ड (xi) का उल्लेख करने का निदेश दिया गया है। आईपीटीवी सेवा प्रदाता से अनिवार्य रूप से आईपीटीवी सेवा में उन चैनलों को दिखाने अथवा शामिल करने की अपेक्षा की गई है जो क्षेत्रीय टी.वी. चैनलों को छोड़कर यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार अधिदेश तथा अनिवार्य रूप से दिखाने के लिए अधिसूचित किए गए हैं। केबल अधिनियम की धारा-8 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार और प्रसार भारती द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित चैनलों को अनिवार्य रूप से आईपीटीवी सेवा में शामिल किया जाना है :-

1. लोक सभा टेलीविजन चैनल
2. डीडी राज्य सभा चैनल
3. डीडी-1 (राष्ट्रीय चैनल)
4. डीडी (समाचार चैनल)
5. डीडी स्पोर्ट्स चैनल
6. डीडी उर्दू चैनल
7. ज्ञान दर्शन चैनल
8. डीडी भारती चैनल

2. उपर्युक्त के मद्देनजर कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि उपर्युक्त आठ चैनलों को आपकी आईपीटीवी सेवा में शामिल कर लिया गया है और मंत्रालय को अनुपालन के संबंध में सूचित किया गया है।

(जोहरा चटर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. : 23382597

सेवा में,

सभी आईपीटीवी सेवा प्रदाता।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :

1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग।
3. सीईओ प्रसार भारती, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली।